

निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर, जयपुर(राज.)
प्रकरण संख्या 24/2022 (राजस्व अपील)
भंवर यादव पुत्र श्री राम कुंवार यादव जाति यादव निवासी प्लाट नं. 1 पवनपुरी, सोडाला,
अजमेर रोड, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. विनय सुरेन पुत्री श्री हंस डी राय पत्नी श्री सुरेन शर्मा जाति खत्री, निवासी ग्राम मदरामपुरा, तहसील जयपुर, जिला जयपुर ।
2. श्रीमती विजय खन्ना पुत्री श्री हंस डी राय जाति खत्री, निवासी सेवायतन अस्पताल, अजमेर रोड, जयपुर।
3. रितेश शर्मा पुत्र राकेश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 383, विश्वामित्र मार्ग, हनुमान नगर, जयपुर ।
4. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार जयपुर, जिला जयपुर ।

प्रत्यर्थागण

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार जयपुर नामान्तरकरण संख्या 183
दर्ज दिनांक 07.01.2022 आदेश दिनांक 12.01.2022 ग्राम मदरामपुरा
तहसील जयपुर ।



उपस्थित:-

1. श्री आर. पी. शर्मा एवं श्री वृजेश पारीक अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्री अनुराग कृष्णात्री अधिवक्ता प्रत्यर्था संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय


दिनांक

05.01.2023

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम मदरामपुरा तहसील जयपुर के नामान्तरकरण संख्या 183 दर्ज दिनांक 07.01.2022 पर तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2022 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोंडेन्ट्स को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये । तहत रिकार्ड तलब किया गया। प्रत्यर्था संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि राजस्व ग्राम मदरामपुरा तहसील जयपुर स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी 83 रकबा 0.7208 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 83/396 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 83/397 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 83/398 रकबा 0.2656 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 83/399 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.


जिला कलक्टर
जयपुर

0253 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 85/403 रकबा 0.4553 हैक्टैयर कुल किरा 7 कुल रकबा 1.6060 हैक्टैयर में रेस्पोजेन्ट संख्या 2, 3 व 4 ने जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के हक में उक्त भूमि का अन्तरण कर दिया। उक्त विवादित भूमि पूर्व में श्री हंस डी राय रेस्पोजेन्ट के पिता के नाम से आवंटन शुदा भूमि थी हंस डी राय के कोई पुत्र नहीं था, बल्कि तीन पुत्रियां विनय सुरेन, विजय खन्ना, व पवन शर्मा को तत्कालीन समय में ही इनके पिता स्व. श्री हंस डी राय द्वारा विवादित भूमि बाबत दिनांक 01.05.1982 को लिखित में 1/3- 1/3 हिस्सा प्रत्येक को वसीयत के जरिये भूमि का अन्तरण कर दिया। तत्पश्चात दिनांक 23.01.1983 को हंस डी राय के स्वर्गवास के पश्चात उसकी पुत्री पवन शर्मा, विनय सुरेन व विजय खन्ना द्वारा विधिवत विभाजन नहीं करवाया गया और वसीयत के आधार पर मिले अविभाजित हिस्से में से पवन शर्मा ने अपना हिस्सा 1/3 को जरिये इकरारनामा दिनांक 7.02.1983 को मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति को कुल 3933 वर्गगज भूमि का विक्रय किया गया तथा दिनांक 15.02.1985 को पुन खसरा नम्बर 82 व 83 में से मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति को 990 वर्गगज भूमि का विक्रय किया गया। उक्त सोसायटी ने खसरा नंबर 82 व 83 में आवासीय स्कीम पवनपुरी विकसित कर अपीलार्थी के पिता श्री रामकुंवार यादव को व उसकी पत्नी व अन्य को भू-खण्ड आवंटित किये। मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा प्रार्थी के पिता रामकुंवार यादव को दिनांक 16.02.1995 को पवनपुरी में भू खण्ड संख्या 14, 15, 16 व 17 आवंटित किये गये। तत्पश्चात हंस डी राय की वारिसान पुत्रियों ने बिना किसी कानूनी कारण के विक्रय शुदा भूमि में विवादों की स्थिति पैदा करती रही। जिसे मजबूर हो कर दिनांक 21.06.2005 को श्रीमती पवन शर्मा को दो लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान कर भू खण्ड संख्या 16 का विक्रय पत्र उप पंजीयक द्वितीय जयपुर के समक्ष अपने हक में पंजीबद्ध करवा लिया तथा खसरा नम्बर 82 व 83 में अपने कयशुदा भू-खण्डों पर दरोबस्त पुख्ता तामीरात करवा कर मकान ढावे, होटल आदि का निर्माण करवा कर काबिज हो कर निर्वाध रूप से रिहायश व्यवसाय अर्से दराज से करते आ रहे हैं। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने विवादित भूमि सम्पूर्ण का अपने हक में अन्य रेस्पोजेन्ट से जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग बिना किसी कानूनी अधिकार के करवा लिया, जबकि रेस्पोजेन्ट संख्या 2 श्रीमती पवन शर्मा ने अपने हक व हिस्से की भूमि का इकरारनामा दिनांक 07.02.1983 को मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति का कर दिया था तथा पुनः इकरारनामा दिनांक 15.02.1985 के जरिये भी मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति को भूमि का विक्रय किया था तथा मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा विवादित खसरा नम्बरान की भूमि 82 व 83 में आवासीय स्कीम पवनपुरी विकसित कर दी थी तथा वर्तमान में भी पवनपुरी आवासीय योजना बसी हुई है। जिसमें भू खण्ड धारियों ने अपने हक व स्वामित्व के भू-खण्डों पर दरोबस्त तामीरात कर रिहायश करते आ रहे हैं तथा निर्वाध रूप से काबिज व आबाद हैं। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को मूल खातेदारों द्वारा रजिस्टर्ड हक त्याग किया हुआ अवैध व खातेदारान के अधिकारों से परे है। क्योंकि पूर्व में ही विवादित भूमि का बेचान मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति को किया जा चुका है तथा मौके पर आवासीय



५५१
जिला कलेक्टर
जयपुर

कालोनी पवनपुरी विकसित है, इसके बावजूद भी बिना किसी कानूनी आधार के मूल खातेदारान ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में बिना हक व स्वामित्व के अपने हिस्से का हक त्याग पत्र किया है जो कानूनन किसी भी पक्षकार को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। रेस्पोन्ट संख्या एक ने अवैध व प्रभावहीन हक त्याग पत्र के जरिये अन्तरण अपने हक में प्राप्त किया है तथा इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर के समक्ष नामान्तरकरण करवाने हेतु आवेदन पेश किया है जिसमें अधीनस्थ तहसीलदार ने बिना किसी कानूनी संगत प्रावधानों का अवलोकन किये बिना बाला-बाला ही बिना किसी आवश्यक पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रत्यर्थी संख्या 1 के हक में विवादित नामान्तरकरण संख्या 183 तस्दीक कर दिया जिसकी प्रार्थी को जानकारी होने के उपरान्त नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर विधिवत रूप से ठोस आधारों पर अपील प्रस्तुत है। विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड अनुसार पूर्व में श्रीमती विजय खन्ना, श्रीमती विनय सुरेन तथा श्रीमती पवन शर्मा पुत्रिया हंस डी राय के नाम खातेदारी में दर्ज थी। जिसका पूर्व में ही इकरारनामा दिनांक 07.02.1983 व पुनः पूरक इकरारनामा दिनांक 15.02.1985 को श्रीमती पवन शर्मा ने अपने हिस्से 1/3 का बेचान मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति को कर दिया था, तो वह अपने हिस्से की कानूनन खातेदार काश्तकार नहीं रही। जिसका छिपाव करते हुये बेईमानी आशय से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं श्रीमती पवन शर्मा के पुत्र रितेश शर्मा ने विरासत के आधार पर भूमि अपने नाम लगवा ली तथा आनन फानन में श्रीमती विनय शर्मा व रितेश शर्मा ने अपने हिस्से सम्पूर्ण को अवैध रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में हक त्याग कर दिया जबकि कानूनन ब्लड रिलेशन एवं परिवार के एक यूनिट को ही परिवार के सदस्य द्वारा अपने हकों का त्याग किया जा सकता है लेकिन गैर कानूनी तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ अन्य वारिसान ने मिल कर धोखा धड़ी कर पूर्व में विक्रय शुदा भूमि का नामान्तरकरण अवैध रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने राजस्व कारकूनान से मिली भगत कर अपने नाम तस्दीक करवा लिया जबकि मौके पर विवादित भूमि पर आवासीय पुख्ता निर्माणशुदा पवनपुरी आवासीय योजना बसी हुई है तथा उक्त आवासीय योजना में अपीलान्त व उसके पिता श्री राम कुमार एवं उनकी माता के नाम भू-खण्ड आवंटन शुदा है तथा मौके पर पुख्ता तामीरशुदा दरोबस्त निर्माण किये हुये हैं। इस कारण अपीलाधीन नामान्तरकरण निस्तनीय है। अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व वादग्रस्त आराजी के हक हकूक सम्बन्धी दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया गया, जबकि विवादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से आज दिन तक कोई तकासमा नहीं हुआ है तथा ना ही तरमीम की कार्यवाही हुई है तथा अधीनस्थ तहसीलदार ने विवादग्रस्त भूमि के मौका स्थल की रिपोर्ट एवं संबंधित तहसीलदार पटवारी आदि से मंगवाना मुनासिव नहीं समझा जबकि वादग्रस्त भूमि पर अर्से दराज से पवनपुरी नाम से आवासीय योजना विकसित की हुई है तथा किसी भी सूरत में विभाजन एवं तरमीम किया जाना सम्भव नहीं है जिसकी जानकारी समय समय पर संबंधित पटवारी व तहसीलदार द्वारा दी गई है। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है। कि राजस्व रिकार्ड का नक्शा व मौके की भूमि नाम में काफी अन्तर है तथा




जिला कलेक्टर
जयपुर

राजस्व रिकार्ड के कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा बिना किसी कारण व आधार के विवादित भूमि में एक नया ही खसरा नम्बर 393/473 बना दिया जिनका रिकार्ड में उल्लेख नहीं है जिसको कानूनन दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ तहसीलदार ने इस अहम कानूनी बिन्दुओं एवं तथ्यों पर गोर किये बिना बाला बाला प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना आलौच्य नामान्तरकरण आदेश करने से पूर्व अपीलान्त द्वारा लिखित में उक्त नामान्तरकरण तस्दीक नहीं करने बाबत उजात पेश किये हुये है जिसका अधीनस्थ तहसीलदार ने अवलोकन किये बिना ही बाला बाला ही कार्यालय में बैठ कर रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के ऊंचे रसूखात होने का फायदा पहुंचाते हुये अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तीनीय है। अधीनस्थ तहसीलदार को नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र का कानूनी अवलोकन करना चाहिये था क्योंकि पत्रावली पर दर्ज रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र कानूनन मुद्रांक की हानि पहुंचाते हुये प्रस्तुत किये गये है बल्कि पक्षकारान नामान्तरकरण में दर्ज पक्षकारान में आपस में किसी भी तरह से हक त्याग आपस में नहीं कर सकता। यदि कानून अन्तरण किया जाता है तो कनवेन्स डीड मुद्रांक शुल्क रेस्पोजेन्ट को अदा करना चाहिये था, लेकिन तहसीलदार जयपुर ने सरकारी हित दर किनार करते हुये रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को बेजा फायउदा पहुंचाने की गरज से उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय सक्षम सिविल न्यायालय कम 3 जयपुर महानगर जयपुर के समक्ष रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व अन्य प्रतिवादीगण के खिलाफ वादग्रस्त भूमि के संबध में वाद कार्यवाही लम्बित है तथा संभागीय आयुक्त महोदय के यहां अपील लम्बित है। ऐसी सूरत में नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसिकल प्रोसिडिंग है जिससे कानूनन पक्षकारान को कोई हक हकूक अर्जीत नहीं होते है। इस प्रकार सक्षम न्यायालय वाद कार्यवाही लम्बित रहने तक नामान्तरकरण कार्यवाही को स्थगित किया जाना कानूनन आवश्यक है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जिससे अपीलाधीन आदेश का ज्ञान समय पर नहीं हो सका। संबंधित पटवारी के पास राजस्व रिकार्ड का दिनांक 29.04.2022 को अवलोकन करने पर सर्वप्रथम दिनांक 29.04.2022 को ज्ञान हुआ। ज्ञान होते ही नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत है। अतः विलम्ब अवधि को क्षमा किया जाकर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर आलौच्य नामान्तरकरण को अपास्त किये जाने के आदेश फरमावे।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि हंस डी राय की वारीसान पुत्रियों द्वारा कभी भी अपीलान्त से कोई विवाद पैदा नहीं हुये और ना ही अपीलान्त ने मजबूर होकर स्वर्गीय डॉ. पवन शर्मा से कोई भूमि खरीद की गई थी। वास्तविकता यह है कि अपीलान्त का ढाबा अजमेर रोड पर अतिक्रमण कर बना हुआ है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार अपीलान्त का ढाबा सड़क में आ रहा है। इस प्रकार अपीलान्त माननीय न्यायालय से उक्त तथ्य छिपा कर आया है। अपीलान्त के क्लीन हैण्ड से ना आने के चलते अपीलान्त की अपील खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोजेन्ट


473
जिला कलक्टर
जयपुर

संख्या 1 के पक्ष में कानूनी प्रक्रिया अपना कर ही अन्य रेस्पोंडेन्ट द्वारा रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र किया गया है जिसके चलते अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 एवं उसकी अन्य बहिनों को उनके स्वर्गीय पिता हंस डी राय द्वारा उनके पक्ष में दिनांक 01.05.1982 को लिखित में 1/3-1/3 हिस्सों की वसीयत कर दी थी, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी बहिने अपने अपने हिस्से पर काबिज हो गई थी। जिसके उपरान्त प्रतिवादी संख्या 3 की स्वर्गीय माता श्रीमती पवन शर्मा द्वारा अपने हिस्से की जमीन मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति को बेच दी गई थीं तथा उक्त जमीन बाद में जे डी ए में रूपान्तरण हो गई थी तथा स्वर्गीय श्रीमती पवन शर्मा के हिस्से की जमीन आज भी जयपुर विकास प्राधिकरण में पवनपुरी के नाम से इन्द्राज है तथा अपीलान्त की जमीन पवनपुरी स्क्रीम में मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा बेचान किये गये प्लॉटों के अनुरूप सुरक्षित है, जिस पर अपीलान्त काबिज भी है। हंस डी राय की मृत्यु के उपरान्त रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 डॉ. विनय सुरेन, पवन शर्मा तथा विजय खन्ना के नाम से फौती नामान्तरकरण खुल गया था जिसे अब दुरुस्त करवाया जा चुका है तथा विजय खन्ना जो कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की सगी बहिन एव रितेश शर्मा जो कि स्वर्गीय पवन शर्मा का पुत्र है एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का सगा भतीजा है, ने अपने हक त्याग कर अपने हिस्से की बची समस्त जमीन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के नाम हक त्याग कर दिया ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो। उक्त हक त्याग पूर्णतया नियमानुसार सम्पूर्ण शुल्क अदा कर किया गया है जिसके चलते नामान्तरकरण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया विधि अनुरूप तथा विधि सम्मत है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व उसकी अन्य बहनों को उनके स्वर्गीय पिता हंस डी राय द्वारा उनके पक्ष में दिनांक 01.05.1982 को लिखित में 1/3-1/3 हिस्से की वसीयत कर दी थी जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व उसकी बहिने अपने अपने हिस्से पर काबिज हो गई थी। जिसके उपरान्त प्रतिवादी संख्या 3 की स्वर्गीय माता श्रीमती पवन शर्मा द्वारा अपने हिस्से की जमीन मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति को बेच दी गई थी तथा उक्त जमीन बाद में जे डी ए में रूपान्तरण हो गई थी तथा स्वर्गीय श्रीमती पवन शर्मा के हिस्से की जमीन आज भी जयपुर विकास प्राधिकरण में पवनपुरी के नाम से इन्द्राज है। उक्त हंस डी राय की मृत्यु के उपरान्त रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 डॉ. विनय सुरेन, पवन शर्मा तथा विजय खन्ना के नाम से फौती नामान्तरकरण खुल गया था जिसे अब दुरुस्त करवाया जा चुका है जिसके चलते कभी भी भूमि के तकास्मा की आवश्यकता नहीं रही तथा राजस्व रिकार्ड के अनुसार भी नामान्तरकरण की समस्त प्रक्रिया अपनाई गई है। जिसके चलते कभी भी भूमि के तकासमा की आवश्यकता नहीं रही तथा राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही नामान्तरकरण की समस्त प्रक्रिया अपनाई गई है तथा खसरा नम्बर 393/473 नियमानुसार बनाया गया है। उक्त समस्त पहलुओं को देख कर ही विधि अनुसार नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। वास्तविकता यह है कि अपीलान्त एक भू माफिया व्यक्ति तथा येनकेन प्रकारेण अपीलान्त रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की जमीन को विवाग्रस्त बनाना चाहता तथ उक्त भूमि का मूल्य कम कर उक्त भूमि खरीद करना चाहता है जिसके चलते अपीलान्त द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के



प्र
जिला कलेक्टर
जयपुर

- विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में अलग अलग वाद दायर किये जा रहे हैं। संभागीय आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत अपील भी खारिज की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त न्यायालय जे एम कम-3 जयपुर महानगर प्रथम जयपुर में भी अपीलान्ट द्वारा एक दावा लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया गया था जिसमें भी आज दिनांक तक अपीलान्ट को किसी प्रकार की रथाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं हुई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपील अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावें।
6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
7. सर्वप्रथम हम अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहेंगे। यद्यपि अपीलान्ट की ओर से अपील विलम्ब से पेश की गई है, किन्तु न्यायहित में विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाता है। अपील का मैरिट पर निस्तारण किया जाता है।
8. अपीलार्थी ने विवादित भूमि की खातेदार श्रीमती पवन शर्मा द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 07.02.1983 एवं इकरारनामा दिनांक 16.02.1985 को मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति को विक्रय किये जाने से मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा विकसित पवनपुरी स्कीम में आवंटित भू-खण्ड संख्या 14, 15, 16 व 17 अपीलाधीन नामान्तरकरण से प्रभावित होने का कथन करते हुये नामान्तरकरण खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा है। श्रीमती पवन शर्मा द्वारा मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति को जरिये इकरारनामा के विक्रय की गई भूमि का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) के तहत किस्म परिवर्तित हो चुकी है। अपीलार्थी द्वारा मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति से आवासीय पट्टे प्राप्त कर लिये गये हैं। मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलार्थी द्वारा धारा 90 (क) की अपील माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर में प्रस्तुत की गई थी, जो दिनांक 23.05.2022 को खारिज की हो चुकी है। विवादित आराजी के खसरा नम्बरान की एल आर एक्ट की धारा 90 (क) के तहत कार्यवाही होकर किस्म आबादी दर्ज है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होकर मान्य सिविल न्यायालय को है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा तहसीलदार जयपुर को मय तहत रिकार्ड प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
10. निर्णय आज दिनांक 05.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर